रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235565 CG-DL-E-05052022-235565

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323] No. 323] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2022/वैशाख 15, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2022

सा.का.नि. 338(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रास्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रास्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) संशोधन नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (प्रास्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 में,-
 - (i) नियम 14 के, उपनियम (1) में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:"परंतु यह भी कि इस नियम के अधीन किसी भी प्रतिभूति की कोई प्रस्थापना या आमंत्रण भारत के साथ कोई भूमि
 सीमा साँझा करने वाले देश में निगमित निकाय कारपोरेट, या किसी राष्ट्रीय को नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसा
 निकाय कारपोरेट या राष्ट्रीय, यथास्थिति, ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 के अधीन सरकारी
 अनुमोदन प्राप्त न कर लिया हो और उसे निजी स्थानन प्रस्थापना सह आवेदन पत्र के साथ संलग्न न किया हो।"।

3084 GI/2022 (1)

(ii) उपाबंध में, प्ररूप पीएएस-4 में, भाग ख में, क्रम संख्याक (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
์(viii) जो भी लागू हो उस पर निशान लगाएः-
(क) आवेदक को शेयरों के अभिदान से पूर्व विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 के अधीन सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है
(ख) आवेदक को शेयरों के अभिदान से पूर्व विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 के अधीन सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है और यह अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और इसके साथ संलग्न है
 [फा. सं. 01/21/2013-सीएल-V]
मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 251(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 642(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th May, 2022
G.S.R. 338(E).—In exercise of the powers conferred by section 42 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, namely:-
1. (1) These rules may be called the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Amendment Rules, 2022.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, —
(i) in rule 14, in sub-rule (1), after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-
"Provided also that no offer or invitation of any securities under this rule shall be made to a body corporate incorporated in, or a national of, a country which shares a land border with India, unless such body corporate or the national, as the case may be, have obtained Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 and attached the same with the private placement offer cum application letter.".
(ii) in Annexure, in Form PAS-4, in Part-B, after serial number (vii), the following shall be inserted, namely:-
"(viii) Tick whichever is applicable:-
(a) The applicant is not required to obtain Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares
(b) The applicant is required to obtain Government approval under the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained, and is enclosed herewith
[F. No. 1/21/2013-CL-V]
MANOLDANDEY It Soov

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,

notification number G.S.R. 642(E), dated the 16th October, 2020.

Sub-section (i) vide number G.S.R. 251(E), dated the 31st March, 2014 and last amended vide